

थाना खरेला पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 03.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गयी उ०नि० अजयपाल सिंह मय हमराह कर्मचारी द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त राजू उर्फ भूरा पुत्र देवनारायण उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जिला महोबा संबंधित केश नं० 670/16 धारा 60 आबकारी अधि० थाना खरेला जो माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट चरखारी से निर्गत वारण्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राजू उर्फ भूरा को ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू उर्फ भूरा पुत्र देवनारायण उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० अजयपाल सिंह
2. पीआरडी रामआसरे

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा / कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी चेकिंग व गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 नवरोत्तम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह पुत्र अतिरूप सिंह उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ थानाक्षेत्र के मौहारी रोड टावर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नवरोत्तम सिंह ,
2. का0 कलीम खान

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तार अभियुक्त-

राघवेन्द्र सिंह पुत्र अतिरूप सिंह उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 03.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित हुयी पुलिस टीम ने थाना स्थानीय में पंजीकृत मु०अ०सं० 370/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त करन सिंह पुत्र दयाराम राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के मौहारी तिराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO कुलपहाड़ श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ.नि. चन्द्रशेखर सिंह 3. का० देवेन्द्र राजपूत
4. का० प्रविन्द्र कुमार 5. का० अजय कुमार 6. म०का० वर्षा राजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

राघवेन्द्र सिंह पुत्र अतिरूप सिंह उम्र करीब 24 वर्ष नि० ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।



/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० यज्ञनारायण भार्गव प्रभारी चौकी पसवारा थाना कोतवाली महोबा
2. हे०कां० रामसूचित तिवारी
3. कां० प्रमोद कुमार



महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **03.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस